न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2021 (2021/327)

महावीर पुत्र श्री चतुर्भुज बागी जाति बागी निवासी देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी

---प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,

आदेश दिनांक 12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता व अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे पक्षकरान को सुना गया। संक्षेप मे प्रकरण निम्न प्रकार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है जिसमे प्रार्थी की कृषि खातेदारी आराजी वाके ग्राम बघेरा, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान की जमाबंदी संवत 2073-76 के खाता संख्या 209 मे खसरा नंबर 5547/1257 रकबा 0.77है बारानी 3 दर्ज खातेदारी है जिसमे सेटलमेंट अधिकारियो ने बिना किसी आदेश व सूचना के परिवर्तन कर राजस्व नक्शा शीट मे परिवर्तन कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी ने इन्द्राज दुरस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाने हेतु की प्रार्थना प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे की है

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया व अप्रार्थी ने आज दिनांक को जवाब दावा बतौर मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेश नया व पुराना पेश कि है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाने हेतु जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सख्या 209 एवं ऑनलाईन मानचित्र प्रार्थी का आधार कार्ड अनअटसटेड, मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 के मानचित्र के प्रमाणित फोटो प्रति, वर्किंग जमाबंदी, सवत् 2024-26 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार ग्राम बघेरा तहसील केकडी के हाल खसरा नंबर 5547/1257 की वर्तमान नक्शा शीट मे पूर्व नक्शा शीट 2028 के मानचित्र के मुताबित वर्तमान नक्शे मे उक्त खसरे की स्थिति को छोटा कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है

अप्रार्थी ने जवाब दावा पेश किया जिसमे ग्राम बघेरा के हाल खसरा नंबर 5547/1257 रकबा 0.77 के पुराने साबिक खसरा नंबर 184/1/65 रकबा 04-15-00 किस्म बारानी 3 है वर्तमान नक्शे मे प्रार्थी के खसरा नंबर 5547/1257 का रकबा तो पुरा है किन्तु नक्शे सीमाऐ पुर्व नक्शा शीट से भिन्न कर दी गई है जिसकी संशोधित तरमीम हेतु जवाब दावे मे शुद्व किये जाने हेतु लाल स्याही से प्रस्तावित कि है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तरमीम शुद्व करने हेतु आपेक्षित बताया है

पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेज व जवाब का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष बावत् नक्शा शीटो का अवलोकन किया जिसमे हाल खसरा नंबर 5547/1257 कि आकृति को भिन्न करना पाया जाता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर के हाल खसरा नंबर 5547/1257 की वर्तमान नक्शा शीट मे खसरे की आकृति को पुराने नक्शा शीट संवत् 2028 के मुताबित दुरस्त किये कि कार्यवाही करे। आदेश कि पालना नियमानुसार किया जाकर कार्यवाही से न्यायालय हाजा को अवगत करावे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:52:37 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला-अजमेर

Scanned with CamScanner